

कार्यालय : - वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहपुरा, जिला - जयपुर

क्रमांक - 14

दिनांक - 18/05/2020

:: कार्यालय आदेश ::

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 18/पी.आई./2020 दिनांकित 17.05.2020 के जरिये दिनांक 31.05.2020 तक आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई किये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं तथा शेष प्रकरणों को दिनांक 31.05.2020 के पश्चात् नियत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी पालना में इस कार्यालय की दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रकरणों में निम्नानुसार तारीख पेशी नियत की जाती है।

इस दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्य जमानत प्रार्थना पत्रों, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्रों, रिमाण्ड, बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी की सुनवाई, न्यायिक अभिरक्षा व नये स्टे प्रार्थना पत्रों एवं अति आवश्यक कार्य दिनांक 31.05.2020 तक समय 08:30 ए.एम. से 12:30 पी.एम. (समय 10.00 ए.एम. से समय 10.30 ए.एम. तक ब्रेक) पर विडियो कॉन्फेसिंग वाया वाट्सएप, ई-मेल के जरिये की जावेगी।

क. सं.	पेशी की दिनांक	फौजदारी प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक	दीवानी प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक
1.	18.05.2020	04.08.2020	04.08.2020
2.	19.05.2020	05.08.2020	05.08.2020
3.	20.05.2020	06.08.2020	06.08.2020
4.	21.05.2020	07.08.2020	07.08.2020
5.	22.05.2020	10.08.2020	10.08.2020
6.	26.05.2020	11.08.2020	11.08.2020
7.	27.05.2020	13.08.2020	13.08.2020
8.	28.05.2020	14.08.2020	14.08.2020
9.	29.05.2020	17.08.2020	17.08.2020
10.	30.05.2020	18.08.2020	18.08.2020

Phaal
18/5/20

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : 110

दिनांक : 18/05/2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर।
2. दी वार एसोसिएशन शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. समाचार पत्र दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका।
4. आदेश पत्रावली/कार्यालय पत्रावली।
5. नोटिस बोर्ड।

Phaal
18/5/20

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा, जयपुर जिला, जयपुर